बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक : ल० सि० मो०-जल जीवन हरियाली/अनु-139/20-928 (मो०) /पटना, दिनांक : 14/5/2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

ईमेल

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

विषय : "जल-जीवन-हरियाली" अभियान अन्तर्गत कनीय अभियंताओं के बीच कार्य आवंटन करने के संबंध में ।

महाशय,

"जल-जीवन-हरियाली" अभियान की समीक्षा के क्रम में ऑनलाईन पोर्टल पर कनीय अभियंतावार योजनाओं की मैपिंग में यह पाया गया है कि प्रमंडल के अन्तर्गत पदस्थापित कनीय अभियंताओं के बीच सम्बद्ध योजनाओं की संख्या में अत्यधिक विचलन है । प्रमंडल के कुछ कनीय अभियंताओं के पास अत्यधिक बड़ी संख्या में योजनाएँ है, वहीं अन्य कनीय अभियंताओं के पास तुलनात्मक रूप से काफी कम योजनाएँ हैं । (ऑनलाईन प्रतिवेदन संलग्न) यह असमान कार्य वितरण विलम्ब से Pre-levels, MBs एवं अन्य प्रविष्टियाँ ऑनलाईन करने का प्रमुख कारण है ।

2. योजनाओं का लगातार सघन अनुश्रवण सुनिश्चित करने तथा समय पर मापी-पुस्तिका संधारण के लिए यह जरूरी है कि प्रमंडल के अन्तर्गत पदस्थापित कनीय अभियंताओं के जिम्मे लगभग समान संख्या में कार्य आवंटित रहें ।

3. वर्त्तमान व्यवस्था में कनीय अभियंताओं को प्रखंडवार क्षेत्र आवंटित है । ऐसा निदेश दिया जाता है कि किसी प्रखंड या प्रखंडों के समूह में तुलनात्मक अत्यंत कम काम हो तो वैसी स्थिति में उन प्रखंडों से सम्बद्ध कनीय अभियंताओं के जिम्मे अतिरिक्त काम दिये जाना है । इस हेतु निम्नवत् निर्देश दिया जाता है-

(i) कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के अंदर कनीय अभियंताओं के बीच लगभग समान संख्या में कार्य सम्बद्ध रहे, इस हेतु प्रखंडवार सम्बद्धता में संशोधन करेंगे ।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर एक प्रखंड का कार्य एक से अधिक कनीय अभियंताओं को दिया जा सकेगा । इसे पंचायतवार सम्बद्धता की जा सकती है ।

(iii) सामान्यतः अभियंताओं के बीच समान संख्या में कार्य आवंटित किया जायेगा । विशेष परिस्थिति में यह विचलन कनीय अभियंतावार औसत संख्या का +/- 50 प्रतिशत हो सकता है । उदाहरण के तौर पर किसी जिले में 45 योजनायें है एवं 03 कनीय अभियंता कार्यरत है तो प्रत्येक के पास लगभग 15 योजनायें होनी चाहिए । तदानुसार 08 से 22 के बीच में योजनायें कनीय अभियंता में सम्बद्ध किया जा सकता है ।

4. उक्त अनुसार योजनावार सौपे गये कार्यों की मैपिंग संबंधित कनीय अभियंता के साथ पुनः ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में भी अद्यतन करें ।

विश्वासभाजन

14/05/2020

(गोपाल मीणा)

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग ।